



आदेश

विषय:—पोस्टमैट्रिक स्कोलरशिप बारे।

वित्त विभाग के दिशा निर्देश अनुसार पोस्टमैट्रिक स्कोलरशिप योजना में विभाग द्वारा संस्थान वाईज डी0डी0ओ0 घोषित करने के स्थान पर केवल प्रधानाचार्य, राजकीय आई.टी.आई. कैथल को बतौर सैन्ट्रल डी0डी0ओ0 घोषित किया गया है। इस समय विभाग में 145 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 181 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं जिनमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या भिन्न-भिन्न है। अतः संस्थानों को बजट के निष्पक्ष, उचित एवं समरूप आबंटन तथा उपयोग एवं मांग की मोनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित संस्थान के छात्रों की संख्या के मद्देनजर संस्थान वाईज बजट का आबंटन निदेशालय स्तर पर योजना अनुभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति से किया जाएगा तथा स्वीकृति उपरान्त प्रधानाचार्य, राजकीय आई.टी.आई. कैथल बतौर सैन्ट्रल डी0डी0ओ0 सम्बन्धित संस्थान के छात्रों को नियमानुसार वितरित करेगा।

उपरोक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।


दिनांक: 03.09.2015

S. K. GOYAL, IAS  
महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।

पृ0 क0: टी.पी./3/पी.एम.एस./2015-16/ 1254 दिनांक 9/9/15

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:—

1. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी), उप-निदेशक योजना, सहायक निदेशक प्रशिक्षण-1, 4, एवं 5, वित्त एवं योजना अधिकारी मुख्यालय पर।
2. सभी प्रधानाचार्य, राजकीय आई.टी.आई. संस्थान, हरियाणा राज्य में।
3. सभी प्रधानाचार्य, प्राईवेट आई.टी.आई. संस्थान, हरियाणा राज्य में।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय आई.टी.आई. संस्थान, कैथल/सैन्ट्रल डी0डी0ओ0 PMS।
5. नोडल अधिकारी वैबसाईट को यह पत्र वैबसाईट पर अपलोड करने के लिए।

  
09-09-2015  
सहायक निदेशक (योजना)  
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।  
PS

CC: निजी सहायक/महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।